BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | September 2019 | No. 09

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के साथ चैम्बर की बैठक

• लोन में दिक्कत हो तो सीधे मुझसे सम्पर्क करें : मुख्य महाप्रबंधक •उद्यमियों को सरल तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाये : • चैम्बर अध्यक्ष

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल साथ में महाप्रबंधक श्री प्रसाद वासुदेव राव टोनपे (दायें) एवं चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर तथा उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन (बायें)

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 12 सितम्बर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल के साथ एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की।

अतिथियों के स्वागतोपरांत चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ चैम्बर का काफी पुराना एवं प्रगाढ़ संबंध रहा है परन्तु हाल के दिनों में इसमें कमी आयी है उस कमी को पाटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नये मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल साहब आज अपनी पूरी टीम के साथ चैम्बर पधारे हैं, उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उनकी मंशा राज्य के उद्योग–व्यवसाय को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान करना है। उन्होंने उद्यमियों को सरल तरीके से ऋण उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध किया ।

मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल ने अपने संबोधन में चैम्बर में उन्हें आमंत्रित करने के लिए चैम्बर को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के उद्यमी बैंक से लोन लेकर अपनी उत्पादकता बढ़ाएँ और ब्याज सहित यथा समय लोन चुकता करें। स्टेट बैंक वैसे उद्यमियों/व्यवसायियों के लिए सदैव तत्पर है। श्री गोयल ने कहा कि सिर्फ सरकारी सब्सीडी पाने के लिए लोन न लें तथा गैर योजना मद में खर्च से बचें। तभी आपका व्यवसाय बढ़ेगा और आपके साथ राज्य की उत्पादकता बढ़ेगी साथ ही साथ बैंकों का भी विकास होगा।

श्री गोयल ने कहा कि हम वैसे लोगों को ढूंढते हैं, जो ब्याज सहित समय पर लोन चुकता कर दें। उन्होंने बताया कि हमारे ग्राहकों की संख्या देश की कुल आबादी जितनी है लेकिन उनमें लोन लेने वाले मात्र दस प्रतिशत ही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक 214 वर्ष पुराना बैंक है। 1945 में आजादी के बाद इसे पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में स्थापित किया गया।

मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि MSME उद्योगों के लिए SBI में विशेष व्यवस्था की गयी है बैंक की ओर से इस सेक्टर के लोगों को लोन उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अलग विंग बनाया गया है। MSME Sector के लोगों को कोई भी असुविधा हो तो वे सीधे हमसे मिल सकते हैं। बैंक कारोबारियों को लोन देने को तैयार है। व्यवसायियों का कारोबार बढ़ेगा तो राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध होगा साथ ही बैंक का भी कारोबार बढ़ेगा । कुछ उद्यमी कारोबार बढ़ाने के नाम पर बैंक से लोन लेते हैं परन्तु उस पैसे से जमीन खरीद लेते हैं, यह सोचकर कि जमीन की कीमत बढ़ेगी ही, बाद में उसे बेचकर मुनाफे से बैंक का लोन चुकता कर देंगे परन्तु वास्तव में वैसा होता नहीं है। फलस्वरूप उनका उद्योग आर्थिक संकट में पड़ जाता है, सही समय पर उद्यमी बैंक का ब्याज सहित लोन नहीं चुका पाते हैं और लोन एन.पी.ए. हो जाता है।

उद्यमियों द्वारा इस अवसर पर कुछ समस्याओं/सुझावों की ओर मुख्य महाप्रबंधक का ध्यान आकृष्ट कराया गया यथा– डिजिटल ट्रांजेक्शन पर लगने वाले शुल्क, बैंक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद नये पदाधिकारी के हस्ताक्षर अपलोड होने में संबंधित शाखा में विलम्ब से कई समस्याएँ होती हैं, लिंक फेल होने की समस्या, बैंकों में सलाहकार समिति का गठन तथा उसमें चैम्बर जैसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व आदि।

चैम्बर अध्यक्ष ने व्यवसायियों की ओर से समस्याओं को उठाते हुए कहा कि जो बैंक गारंटी जारी किया जाता है, उसे परिपक्व होने में एक साल का समय लग जाता है, अगर बैंक से परेशानी हो तो हमलोग रिजर्व बैंक से सम्पर्क करें।

पाटलीपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष श्री बिनोद कुमार ने कहा कि स्टेट बैंक

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

GST परिषद् की 37वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई जिसमें 2 करोड़ तक के वार्षिक टर्न ओवर वाले कर दाताओं को वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट का निर्णय लिया गया है जो स्वागत योग्य है । माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के जोरदार पहल से यह सम्भव हो पाया है इससे राज्य के 4 लाख से अधिक व्यवसायियों को काफी राहत मिलेगी । इसके लिए हम बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से माननीय उप मुख्य मंत्री जी के प्रति आभारी हैं और हार्दिक धन्यवाद देते हैं । होटल के GST दरों में भी कमी किये जाने का फायदा पर्यटन उद्योग को होगा ।

इसके अलावा माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को घटाया गया है इससे कम्पनियों की आय में वृद्धि होगी।

इससे देश की अर्थ व्यवस्था समुन्नत होगी और बड़े पैमाने पर देश में रोजगार सृजन होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी समर्थन मिलेगा ।

1 सितम्बर, 2019 से पूरे देश में ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने की राशि का प्रावधान कर दिया गया है । इसमें आम आदमी और प्रशासन के बीच कभी–कभी तनाव की स्थिति हो जाती है । कई सरकारों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है, कई सरकारें जुर्माने की राशि में संशोधन करने जा रही है। बिहार सरकार भी इसपर समीक्षोपरान्त संशोधन करेगी ।

जुर्माना ज्यादा लगाने के पीछे केन्द्र सरकार का मकसद दुर्घटनाओं में कमी लाना एवं यातायात नियमों का पालन कराना है । वाहन चालक चेतना मूलक बने इसकी जबाबदेही जनता के साथ–साथ प्रशासन की भी तय होनी चाहिए । जुर्माना एवं नियम तर्कसंगत होने चाहिए ताकि आर्थिक भार से आम आदमी की कमर ही न टूट जाय ।

केन्द्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिवन्ध की घोषणा का चैम्बर पूरा समर्थन करता है परन्तु प्लास्टिक निर्माण एवं ट्रेडिंग इकाईयों को बन्द करने और लाखों लोगों को बेरोजगार करने की बजाय उन्हें विकल्प तैयार करने को प्रेरित किया जाना चाहिए और थोड़ा समय दिया जाना चाहिये । इसके साथ ही सरकार प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज के पुनर्स्थापन हेतु जल्द नीति भी बनायें ।

12 सितम्बर, 2019 को भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक श्री महेश दीपचन्द गोयल के साथ चैम्बर में एक बैठक हुई । बैठक में महत्वपूर्ण बैंकिंग समस्याओं पर मुख्य महाप्रबन्धक का ध्यान आकृष्ट किया गया एवं कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गये जिसपर मुख्य महाप्रबन्धक ने उनके स्तर पर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है । इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटिन में अन्य सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित है ।

सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का विस्तार मधुपुर तक नहीं होगा, यह पूर्व मध्य रेल के महा प्रबन्धक श्री ललित चन्द्र त्रिवेदी ने स्पष्ट कर दिया है । उनका कहना था कि रेलवे बोर्ड से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

ऑफ इंडिया द्वारा ज्वेलरी सेगमेंट को लोन नहीं दिया जा रहा है। जबकि ज्वेलरी दुकानदारों के पास हॉल मार्किंग लाईसेंस हैं, तो उसको बैंक से सीसी लोन सहित अन्य लोन लेने का अधिकार है। बैंक द्वारा ज्वेलर्स को ऋण नहीं देने का निर्णय अनुचित है।

इस पर मुख्य महाप्रबंधक ने विषय को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया।

इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री प्रसाद वासुदेव राव टोनपे, उप महाप्रबंधक श्री एस0 के0 जैन, श्री संजीव दास, श्री अनिल ग्रोवर, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री नीरज ठाकुर, श्री एस0 के0 ठाकुर, सहायक महाप्रबंधक श्री आलोक रंजन, श्री बीरेन्द्र कुमार, श्री दीपक बर्णवाल के साथ–साथ अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे ।

कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, वरीय सदस्य श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री शशि मोहन, श्री राजीव अग्रवाल, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सच्चिदानन्द, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री सावल राम झोलिया, श्री आशीष शंकर, श्री आलोक चन्द जैन, श्री बिनोद कुमार सराफ, श्री उत्पल सेन, डॉ0 बी0 बी0 वर्मा, श्री आलोक पोद्दार, श्री नवीन गुप्ता के साथ–साथ काफी संख्या में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया ।

इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक को चैम्बर का मेमेन्टो देकर चैम्बर अध्यक्ष ने सम्मानित भी किया।

चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई ।

एसबीआई के महाप्रबंधक श्री प्रसाद वासुदेव राव टोनपे को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के अग्रवाल।

एसबीआई के उपमहाप्रबंधक श्री एस. के. जैन को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

एसबीआई के उप महाप्रबंधक श्री संजीव दास को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, साथ में उपमहाप्रबंधक श्री एस. के. जैन।

एसबीआई के उप महाप्रबंधक अनिल ग्रोवर को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, साथ में उप महाप्रबधक श्री संजीव दास।

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल, उनकी बांयी ओर क्रमशः एसबीआई के महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल, महाप्रबंधक श्री प्रसाद वासुदेव राव टोनपे, एवं उपमहाप्रबंधक श्री एस. के. जैन।

सदस्यों को संबोधित करते एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल। उनकी बांयी ओर महाप्रबंधक श्री प्रसाद वासुदेव राव टोनपे तथा दांयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर एवं उपध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीप चन्द गोयल को चैम्बर का मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर करते अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल, साथ में महाप्रबंधक श्री प्रसाद वासुदेव राव टोनपे एवं उपमहाप्रबंधक श्री. एस के जैन दाँयें तथा चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

नया मोटर वाहन अधिनियम पर चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

रीजनेबल बनाने का प्रयास करना चाहिए

नये मोटर वाहन कानून में जुर्माना राशि व लाईसेंस फी को बहुत बढ़ा दिया गया है जो उचित नहीं है। अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए ही राजस्थान, बंगाल, मध्यप्रदेश व गुजरात ने इसे लागू नहीं किया है। इसे सरकार को रीजनेबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन के लिए जागरूकता भी बढ़ायी जानी चाहिए।

–पी.के. अग्रवाल
अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना

साभार–प्रभात खबर 06.09.2019

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राजेन्द्र नगर टर्मिनल

–नई दिल्ली सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12393–12394) को मधुपुर ले जाने पर जताया एतराज

''बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल ने कहा है कि पटना में कई तरह की सुविधाएं हैं। श्री अग्रवाल का मानाना है कि जिन ट्रेनों का विस्तार किया गया, उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। अगर मधुपुर को जरूरत है तो वहॉ के लिए अलग ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए। सम्पूण क्रांति की वर्त्तमान स्थिति से व्यवसायियों को राहत है। अगर मधुपुर तक इसे विस्तार दिया गया तो कई तरह की परेशानी हो सकती है।''

साभार–दैनिक जागरण–06.09.2019

पटना के नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री जितेन्द्र कुमार, भा.पु. से. ने

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का किया भ्रमण

दिनांक 26 अगस्त 2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र जहाँ महिलाओं को सिलाई–कटाई, कम्प्यूटर एवं ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जाता है, का अवलोकन हेतु पटना के नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री जितेन्द्र कुमार भा.पु.से. आये। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल भी उपस्थित थे। चैम्बर अध्यक्ष ने प्रशिक्षण केन्द्र के बारे जानकारी दी।

नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) ने चैम्बर के प्रयास की सराहना की।

ब्यूटीशियन प्रशिक्षण को देखते हुए सीटी एस.पी. (पूर्वी) श्री जितेन्द्र कुमार एवं साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन एवं प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएं।

सिलाई कक्ष का अवलोकन करते सीटी एस.पी (पूर्वी) श्री जितेन्द्र कुमार साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री.पी.के. अग्रवाल एवं सिलाई प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएं।

स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक ने किया कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण

कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में ब्यूटीशियन प्रशिक्षण कक्ष का अवलोकन करते एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल और ब्यूटीशियन प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएं।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्ष में मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल को केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के अग्रवाल साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, केंद्र की इंचार्ज सुश्री माधवी सेन गुप्ता और कम्प्यूटर प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएं।

सिलाई–कटाई प्रशिक्षण कक्ष में एसबीआई मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल को जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री.पी.के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन। साथ में एसबीआई के उपमहाप्रबंधक श्री एस.के जैन, सिलाई की प्रशिक्षका श्रीमती ममता सिन्हा और सिलाई का प्रशिक्षण ग्रहण करती महिलाएं

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल ने बुधवार 04.09.2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंण्डस्ट्रीज की ओर से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान चैम्बर अध्यक्ष पी.के अग्रवाल और उपाध्यक्ष मुकेश जैन उनके साथ थे। भ्रमण के दौरान अग्रवाल ने बताया कि इस कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में मुख्य रूप से समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर युवती और महिलाओं को सिलाइ–कटाई, ब्यूटीशियन और कंम्प्यूटर का प्रशिक्षण पिछले पांच सालों से दिया जा रहा है, महेश गोयल ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं युवतियों और महिलाएं से बातचीत भी की। गोयल ने चैम्बर की ओर से किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

साभार–प्रभात खबर 05.09.2019

चैम्बर द्धारा माल एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक के निर्णय का स्वागत एवं
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के प्रति धन्यवाद ज्ञापन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 20.09.2019 को संपन्न माल एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक में दो करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट के निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है । साथ ही परिषद की बैठक में इस प्रकार के निर्णय हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के जोरदार पहल के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं राज्य के समस्त व्यवसायी उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं क्योंकि इससे राज्य के चार लाख से अधिक व्यवसायियों को काफी राहत मिलेगी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने बताया कि राज्य में छोटे–छोटे व्यवसायियों की संख्या काफी अधिक है । दो करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट के निर्णय से राज्य में चार लाख से अधिक व्यवसायियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और वे चिन्ता से मुक्त होकर अपने व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में ध्यान देंगे जिससे राज्य के आर्थिक विकास को और बल मिलेगा । उन्होंने आगे बताया कि होटल के कमरों पर 1000/- तक कर मुक्त करने, 1001से 7500रूपये तक के कमरा के करों को घटाकर 12% करने एवं 7500 से अधिक के कमरों पर 18% कर लगने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ।

श्री अग्रवाल ने बताया कि गत दिनों माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा कारपोरेट टैक्स को घटाकर 22% किया है इससे कारपोरेट कर की प्रभावी दर 34.94% से कम होकर 25.17% पर आ जाएगी जो पहले 30% था इससे कंपनियों को अपनी आय में सुधार लाने में मदद मिलेगी तथा इससे देश की अर्थव्यवस्था में आयी सुस्ती में तेजी आएगी एवं निवेश बढ़ेगा जिससे बड़े पैमाने पर देश में रोजगार का सृजन होगा । इस प्रकार के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकार आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए और उद्योग की जरूरतो को पूरा करने के लिए तत्पर है ।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि इसका सकारात्मक प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा इससे निवेश को बल मिलेगा साथ ही मांग में वृद्धि होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी समर्थन मिलेगा ।

चैम्बर की 92 वीं वार्षिक आम सभा आयोजित

आम सभा को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल। उनकी बांयी ओर उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं संयुक्त सचिव श्री सुरेश राम तथा दांयी ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

आम सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण

आम सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण

चैम्बर द्वारा नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएँ बनी स्वावलंबी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 92वीं वार्षिक आम सभा चैम्बर सभागार में दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को आयोजित हुई ।

चैम्बर के विरूद्ध सिविल कोर्ट में मामला दायर होने के चलते माननीय न्यायालय द्वारा यथावत स्थिति कायम रखने के आदेश के फलस्वरूप चुनावी प्रक्रिया स्थगित है । फलस्वरूप, चैम्बर के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का वार्षिक चुनाव वर्ष 2018–2019 से ही लंबित है । इस कारण आम सभा का स्थगन (Adjorned) किया गया ।

आम सभा में कार्यावली के अन्य विन्दुओं पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये ।

आम सभा ने उद्योग, ऊर्जा, आधारभूत संरचना (रेल एवं परिवहन) श्रम, पर्यटन, आइ.टी. एवं संचार सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया ।

इसके अतिरिक्त आम सभा ने विधान परिषद, पटना नगर निगम, सभी जिलों के नगर परिषदों तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पूर्व की तरह चैम्बर के प्रतिनिधित्व की मांग की ।

चैम्बर द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से सिलाई–कटाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर कई महिलाएँ स्वरोजगार कर रही हैं, कुछ महिलाएँ सिलाई का काम करके अर्थोपार्जन कर रहीं हैं एवं कुछ महिलाएँ अपने घर के कपड़ों की सिलाई कर घर का पैसा बचा रही हैं।

प्रशिक्षण के समय कुछ महिलाएँ आर्थिक रूप से काफी कमजोर थीं, उनका प्रशिक्षण तो अच्छा रहा, परन्तु स्वरोजगार के लिए उनके पास सिलाई मशीन की आवश्यकता थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने की वजह से वे सिलाई मशीन खरीद नहीं सकती थीं।

चैम्बर ने उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन प्रदान किया था। कुछ दिनों पूर्व चैम्बर ने उन महिलाओं से सम्पर्क कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और पाया कि चैम्बर का प्रयास सार्थक रहा और वो महिलाएँ स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हैं। वे अपने घर में आर्थिक सहयोग भी कर रही हैं। प्रस्तुत है उन महिलाओं की फोटोग्राफ के साथ उनसे हुई वार्त्ता के मुख्य अंश :–

श्रीमती फरहान जबीं कहती हैं कि चैम्बर द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद मुझे सिलाई मशीन देने के लिए शुक्रिया। इससे सिलाई करके मैं महीनें में 3 हजार तक कमा लेती हूँ।

–श्रीमती फरहान जबीं

निवेदिता जी कहती हैं सिलाई से थोड़ा बहुत उर्पाजन कर लेती हूँ। सिलाई मशीन प्रदान कारने के लिए चैम्बर को धन्यवाद।

– निवेदिता कुमारी

श्रीमती मधु देवी कहती हैं कि सिलाई करके महीने में 3 हजार तक कमाई कर लेती हूँ। घर में आर्थिक मदद हो जाती है और काम मिलेगा तो करूंगी। चैम्बर को सिलाई मशीन देने के लिए आभारी हूँ।

–श्रीमती मधु देवी

श्रीमती रीना गुप्ता कहती हैं कि चैम्बर द्वारा सिलाई मशीन पाकर काफी खुश हूँ। सिलाई करके प्रतिमाह 3000–3500 रूपये तक कमा लेती हूँ। चैम्बर को प्रशिक्षण एवं सिलाई मशीन देने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

–श्रीमती रीना गुप्ता

सुश्री खुशी गुप्ता सिलाई का प्रशिक्षण एवं सिलाई मशीन प्रदान करने के लिए चैम्बर को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि सिलाई के काम से 2000 रूपये तक कमा लेती हूँ और सिलाई के काम की तलाश में हूँ ताकि और कमाई हो सके।

–सुश्री खुशी गुप्ता

श्रीमती रौशनी देवी ने कहा कि सिलाई करके 2000–2500 रूपये तक कमा लेती हूँ। जिससे घर में आर्थिक मदद हो रही है। चैम्बर को मशीन एवं प्रशिक्षण देने के लिए धन्यवाद।

–श्रीमती रौशनी देवी

श्रीमती रेणु देवी चैम्बर को सिलाई का प्रशिक्षण एवं सिलाई मशीन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हैं। रेणु देवी के अनुसार वो सिलाई से अच्छी कमाई कर लेती हैं। ये और भी काम की तलाश में हैं ताकि और कमाई कर सकें।

–श्रीमती रेणु देवी

सुश्री गुलब्शा खातून कहती हैं कि सिलाई से 2500–3000 तक कमा लेती हैं जिससे घर में आर्थिक मदद हो जाती है। चैम्बर से मिले सिलाई प्रशिक्षण एवं सिलाई मशीन के लिए चैम्बर का शुक्रिया अदा करती हूँ। वो और भी काम की तलाश में हैं ताकि घर में और भी मदद कर सके।

–सुश्री गुलब्शा खातून

चैम्बर ने हजारों महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से चालये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम ने सैकड़ों लड़कियों व महिलाओं की तकदीर बदल डाली है। साढ़े पांच वर्षों में ही यहां से प्रशिक्षण ले चुकी महिलाएं स्वावलंबी होने के साथ परिवार का जीविकोपार्जन कर रही हैं। अब तक तीन हजार से अधिक लड़कियां व महिलाएं कई विधाओं में प्रशिक्षण पाप्त कर चुकी हैं। वहीं, कौशल विकास केंन्द्र की चैंबर की ओर से 50 लाख रूपये से अधिक की राशि से पूर्व निर्मित भवन का पुनरोद्धार किया जा चुका है। इसमें अब ब्यूटीशियन का नया कोर्स चल रहा है।

चैम्बर के प्रेसिडेंट पी.के. अग्रवाल ने बताया कि लड़कियों व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है। इसके तहत सिलाई, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर और मेहंदी का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 फरवरी 2014 को 12 प्रकार के प्रशिक्षण के साथ कौशल विकास केन्द्र की शुरूआत हुई। अब तक सिलाई के 22 बैच में 1363 महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं। वही, कंप्यूटर की ट्रेनिंग 14 अप्रैल 2015 को हुई थी। उसके बाद ले लेकर अब तक 17 बैच में 637 महिलाएं कंप्यूटर में दक्ष हो चुकी हैं। इसी वर्ष जनवरी में शुरू किये गये निःशुल्क ब्यूटीशिन कोर्स के दो बैच में 69 महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं। चैंबर अध्यक्ष ने कहा 3 माह का ब्यूटीशिन कोर्स करने वाली सभी लड़कियों को जीने का जरिया मिल रहा है।

बदलाव

- **मेहंदी की ट्रेनिंग में भी 300 से अधिक लड़कियाँ शामिल हुई।**
- **परिवार के जीविकोपार्जन में मदद कर रही महिलाएं।**
- **15 से 20 हजार महीने कमा रही महिलाएं ।**

जिंदगी में आ रहा बदलाव

प्रशिक्षण ले चुकी ममता ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद मैंने खुद का बुटिक शुरू किया। इससे अब हर महीनें 15 से 20 हजार की आमदनी हो रही है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कर चुकी बबीता एक कंपनी में डाटा इंट्री ऑपरेटर है तो मेहंदी की ट्रेनिंग ले चुकी नेहा राय कहती हैं कि उन्हें ब्रांडेड ब्यूटि पार्लर में अच्छी सैलरी मिल रही है। सैकड़ों महिलाओं व लड़कियों के जीवन में बदलाव का उदाहरण बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वे में हुआ है।

साभार– हिन्दुस्तान–30–08–2019

CONGRATULATIONS

We have the pleasure to inform you that Chamber's member Shri Navin Gupta has been elected the General Secretary of Federation of All India IT Association for the term 2019-2021.

Chamber congratulates Shri Navin Gupta and hopes with his experience and best efforts the FAIITA will rise to a new heights.

CHAMBER'S REPRESENTATION IN DRUCC, EAST CENTRAL RAILWAY, DANAPUR

Shri Subodh Kumar Jain, member of Bihar Chamber of Commerce & Industries has been nominated to represent Chamber in DRUCC, East Central Railway, Danapur for the term 2019-2021.

Members are requested to send their railway problem to Shri Subodh Kumar Jain.

बिहार में मंदी नहीं, बढ़ी रहा व्यापार: सीएम

बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के राज्यस्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चारो तरफ मंदी का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस पर व्यवसायी चिंता नहीं करें। बिहार में व्यापार बढ़ा रहा है। खरीदने की शक्ति लोगों की बढ़ी है। बिहार में बहुत बड़ा उद्योग नहीं लगा है, पर व्यवसाय बहुत बढ़ा है। जिस रास्ते में एक दुकान नहीं थी, वहां अब कई दुकानें खुल गई हैं।

मंदी के बहाने निराशा फैलाने का हो रहा है प्रयास : मोदी

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि मंदी के बहाने पूरे देश में निराशा का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर ऐसी स्थिति है नहीं । बिहार में पिछले साल की तुलना में इस साल प्रथम तिमाही में उपभोक्ता सामान की बिक्री बढ़ी है। तथाकथित मंदी की अफवाहों के बावजूद पिछले साल 2018–19 में जहां बिहार में एक लाख करोड़ से ज्यादा का माल बिकने के लिए आया था, वहीं इस साल पहले चार महिने (अप्रैल–जून) में ही 34 हजार करोड़ का माल बाहर से बिकने के लिए लाया जा चुका है। विस्तृत–हिन्दुस्तान–03.09.2019

पी.एम. मोदी की पुकार प्लास्टिक छोड़े संसार

यूनाइटेड नेशंस के कॉप–14 प्रोग्राम में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया से की सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने सोमवार 09 सितम्बर 2019 को कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में सिगंल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह छुटकारा पा लेगा. युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टु कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) के 14 वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने ठान लिया है। कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई जगह नहीं होगी. उन्होंने दुनिया से भी ऐसा ही करने की गुजारिश की है, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट भी आपको बता रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक से क्यों बनायें दूरी और क्या है इसका संसार।

विस्तृत–आइनेक्स्ट–10.09.2019

सरकारी खरीद में मिले प्राथमिकता

उद्योग मंत्री श्याम रजक की अध्यक्षता में लघु उद्योग इकाइयों की सरकारी खरीद कार्यक्रम को लेकर 03.09.2019 मंगलवार को विकास भवन में बैठक हुई। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वरीय प्रबंधक ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से पंजीकृत राज्य की सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ईकाइयों को सिंगल प्वांइट के तहत सरकारी खरीद में प्राथमिकता न देने का मामला उठया।

उद्योग मंत्री ने कहा कि अब तक यह विभाग द्वारा बनाई गयी क्रय निति 2002 व वित्त विभाग के नियम 2005 के तहत केवल उत्पादन करने वाली बिहार के लघु उद्योगों को राज्य के बाहर स्थित उद्योगों की तुलना में सत् प्रतिशत अधिक मान्यता दी जाएगी। सरकारी ठेके के लिए बिहार स्थित उद्योगों को अर्नेस्ट मनी देने की आवश्यकता नहीं होगी तथा जमानत की राशि भी 20 प्रतिशत ही देनी होगी। उद्योग निदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सर्विस सेक्टर की इकाइयों को बिहार में सरकारी खरीद में प्राथमिकता नहीं है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि सर्विस सेक्टर को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दिलानी हो तो उसे श्रेणीवार वर्गीकरण किया जाए। उस पर विचार किया जा सकता है, इसमें हाउस कीपिंग व सिक्योरिटी सर्विस भी शामिल है। इसके लिए राष्ट्रीय लघुउद्योग निगम से प्रस्ताव मांगा गया है। साभार–हिन्दुस्तान–04.09.2019

चालू वित्त वर्ष में एनपीए घटकर रू 9.1 लाख करोड़ पर आने की उम्मीद

बैंकों का सकल फंसा कर्ज (एनपीए) चालू वित्त वर्ष के अंत तक घटकर 9. 1 लाख करोड़ रूपये पर आने की उम्मीद है, एसोचैम–क्रिसिल के एक संयुक्त अध्ययन में यह बात कही गयी है, उनके रिपोर्ट 'बोलस्टरिंग एआरसी' के अनुसार भारतीय बैंकों का सकल एसपीए 31 मार्च 2019 को 9.4 लाख करोड़ रूपये था, रिपोर्ट में कहा गया है कि दबाव वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने वाले निवेशकों के पास व्यापक अवसर है। 31 मार्च 2019 तक बैंकिग प्रणाली में 9.4 लाख करोड़ रूपये का एनपीए था. इसमें से करीब 70 प्रतिशत हिस्सेदारी कारपोरेट क्षेत्र की होने का अनुमान है. रिपोर्ट अनुसार इसमें करीब 5.4 लाख करोड़ रूपये बड़ी दबाव वाली परिसंपत्तियां हैं जो ऐसी संपत्तियों में निवेश करने वालों के लिए अपने आप में बड़ा मौका है। साभार– प्रभात खबर–04.09.2019

आधार से रिटर्न भरने वालों को स्वत: जारी होगा पैन

आयकर विभाग आधार संख्या का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओ को स्वतः स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर देगा। यह दोनों डाटाबेस को जोड़ने की नई व्यवस्था का हिस्सा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। यह नियम एक सितम्बर से प्रभावी हो गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए 'आधार ' से व्यक्ति की अन्य जानकारी जुटा लेगा। सीबीडीटी, आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है। सीबीडीटी के चैयरमैन पी.सी मोदी ने जुलाई में एक साक्षात्कार में कहा था कि विभाग खुद से उस व्यक्ति को एक नयी पैन संख्या आवंटित कर देगा जो रिटर्न दाखिल करते समय आधार का उपयोग करेगा। यह दोनों डाटाबेस को आपस में जोड़ने की नयी व्यवस्था का हिस्सा है।

साभार–राष्ट्रीय सहारा 03.09.2019

Petition In Patna High Court Challenges Ban On Pan Masala

The Smokeless Tobacco Association has moved the Patna high court, challenging Bihar government's decision to ban on manufacture, storage, distribution, transportation display or sale fo 15 brands of pan masala as they were found contain magnesium carbonate.

Industry sources said the Bihar government had violated statute 3.11.7 of the Food safety and Standards Act (FSSA), which allowed use of magnesium carbonate in table salt, soup powder and even bakery products.

" If the same chemical can be allowed in other food,, products, what is so special about pan masala they asked.

Interestingly, most brands of pan masala, banned by Bihar, do not mention magnesium carbonate as an ingredient in them. Their sachets only mention presence of betel nut, catechu, cardamom, lime and menthol in them.

Industry sources further said the government had also committed procedural lapses while prohibiting pan masla in Bihar.

Maharashtra was the first state to ban Pan Masala containing magnesium carbonate, followed by Bihar when it banned 15 varieties of pan masala for the same reason.

It had banned 12 brands Rajnigandha, Raj Niwas, supreme, Pan Parag, Bahubali, Rajshree, Rounak, Signauture, Pasan, Kamla Pasand and Madhu Pan Masala- for a year on August 30 and three others Shikhar,Vimal and Gold pan masala- also for a year on September 2.

The Smokeless Tabacco Association filed a petition, challenging the prohibition order, on September 4. None from the petitioner's side was willing to speak on the subject, saying the matter was sub judice.

The samples of pan masala were collected in August for

testing and analysis at the state food testing laboratory, Agamkuan, here.

The state government had on May 30, 2012 banned the sale of tabacco and nicotine mixed gutkha and pan masala for one year.The ban has since been extended every year.

"The ban on pan masala follows their samples testing positive for magnesium carbonate, a harmful chemical, which could lead to cardiac arrest,"Bihar's principal secretary, health, and commissioner of food safety, Sanjay kumar ,had then said.

Doctors say that consumption of pan masala for years together could lead to acute hyper magnesia, which is an electrolyte disorder in which there is a high level of magnesium in the blood and can lead to tachycardia(faster than normal heart beat), nerve disorder and cardiac arrest.

Details: Hindustan Times-10.09.2019

बिहार में बारह पान मसालों पर प्रतिबंध

निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर भी रोक

राज्य में शराबंदी लागू करने के बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार 30.08.2019 को पान मसालों के 12 विभिन्न ब्रांडों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

राज्य के प्रधान सचिव (स्वास्थय) सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने पान मसाला के 12 ब्रांडों रजनीगंधा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, सुप्रीम पान पराग पान मसाला, बहार पान मसाला, बाहुबली पान मसाला, राजश्री पान मसाला, रौनक पान मसाला, सिग्नेचर पान मसाला, पसन पान मसाला, कमला पंसद पान मसाला एवं मधु पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होनें कहा कि इन उत्पादों में मैग्नीशियम कार्बोनेट व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है, जो इनके उपयोगकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। श्री कुमार ने कहा कि जून से अगस्त 2019 के बीच परीक्षण और विश्लेषण के लिए विभिन्न ब्रांडों के पान मसालों के 20 नमूने राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए थे। उन्होंने कहा कि सभी नमूनों में एक घटक के रूप से मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। पान मसाला के सभी 20 नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (34–2006) के प्रावधानों के तहत एकत्र किए गए थे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शोधों पाया गया है कि सालों तक पान मसाले के सेवन से एक्यूट हाइपर मैग्नेशिया होता है, जिससे बाद में कार्डियक अरेस्ट का खतरा होता है। साभार–राष्ट्रीय सहारा–03.08.2019

ई–कॉमर्स नीति में कुछ और प्रावधान शामिल करें

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को कंफेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की बिहार इकाई ने पत्र लिखा है।

कैट के बिहार चेयरमैन कमल नोपानी ने अपने लिखे पत्र में वाणिज्य मंत्री को भेजे गए पत्र में सुझाव दिया है कि नई वाणिज्य नीति को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि देश में ई–वाणिज्य बाजार कुछ प्रमुख ई–कॉमर्स कंपनियों का बंधक न बन जाए। उन्होने श्री गोयल से ई–कॉमर्स नीति में कुछ अनिवार्य प्रावधान शामिल करने का आग्रह किया है, जिसमें डीपीआईआईटी के साथ बड़ी या छोटी ई–कॉमर्स कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य हो। कहा कि प्रधानमंत्री डिजिटल भुगतानों को अपनाने पर अधिक जोर दे रहे है, इसलिए ई–कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) प्रणाली को समाप्त करना बेहतर है। नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कारवाई हो। साभार-हिन्दुस्तान-03.09.2019

59 मिनट में मिलेगा होम लोन

देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएमएमई) को सरलता से ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए प्लेटफार्म पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट डाट काम' ने अब आवास और व्यक्गित ऋण ग्राहकों के लिए सैद्धांतिक रूप से रिटेल ऋण की सैद्धांतिक मंजूरी देने की प्रक्रिया लांच की है।

इसके तहत आवेदक अब एसबीआई और पीनबी जैसे सार्वजानिक, क्षेत्र के 19 बैंको के माध्यम से 59 मिनट के भीतर ऋणों के लिए सैद्धिांतिक मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहकों को इस डिजिटल प्रक्रिया में बैंक चुनने के लिए कई विकल्प मिलेगें। इस तरह कर्ज लेने के इच्छुक लोगों को घर और व्यक्गित ऋण के लिए त्वरित और परेशानी मुक्त पहुंच हासिल होगी,चाहे बैंकों की उपलब्ध सूची के साथ उनका बैकिंग और वित्तीय संबंध हो या नहीं । पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स कई बिंदुओं जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट्स आदि से डेटा का विश्लेषण करने के बाद कार्य करता है।

पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स वेबसाइट ग्राहक द्वारा अपलोड की गई सूचना जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आदि से लोन लेने के इच्छुक व्यक्ति के डेटा का विश्लेषण करता है। इसके बाद वेबसाइट पर मौजूद प्रतिनिधि सारी जानकारी का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद मंजूर किए जाने वाली ऋण की राशि तय करते हैं। इसके बाद आवेदक को सभी बैंको की शाखा से आनलाइन कनेक्ट किया जाता है और एक बार फिर इसकी जांच होती है। इसके बाद इस लोन को आनलाइन अंतिम मंजूरी मिल जाती है। यह सारी प्रक्रिया 59 मिनट में पूरी कर ली जाती है और ग्राहक का लोन उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

साभार–राष्ट्रीय सहारा–06.09.2019

भागलपुर में 20 करोड़ से अधिक के सिक्के हो गए डंप

भागलपुर में 20 करोड़ से अधिक के सिक्के बैंकों व कारोबारियों के यहां डंप हो गए हैं। बैंक ग्राहकों से सिक्के लेने से कतरा रहे हैं, तो ग्राहक भी बैंकों से सिक्का लेना नहीं चाहते। डंप सिक्कों में सबसे ज्यादा एक रूपये के सिक्के हैं। ये चलन में रहते हुए भी बाजार से बाहर हो गए हैं। एलडीएम मोना कुमारी ने बताया कि सुलतानगंज में श्रावणी मेले में आए सिक्कों की गिनती अभी तक चल रही है।

आरबीआई ने जबरन बैंको को थमाये सिक्के

बिहार प्रोविंसियल बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन के उप महासचिव अरविंद कुमार रामा ने बताया कि देश में पहले 15 लाख 44 हजार करोड़ रूपये ही चलन में था। लेकिन नोटबंदी के बाद सरकार ने छह, लाख करोड़ अतिरिक्त नोट व सिक्के छाप दिये, जिसके बाद आरबीआई नें बैंकों को बिना डिमांड के सिक्के भेज दिया।

आर्थिक मंदी का बड़ा कारण

अर्थशास्त्र के जानकार प्रोफेसर आर.डी. शर्मा बताते हैं कि इतने सिक्के के निष्क्रिय होना मंदी का बड़ा कारण बन रहा है। इतनी अधिक मात्रा में पैसे के डंप होने का प्रभाव क्रय शक्ति और बाजार पर पड़ रहा है। किसी का खर्च दूसरे की आमदनी होती है। यदि एक सिक्का दिन भर में दस हाथों में जाता है तो एक सिक्के का हिसाब दस रूपये के बराबर हुआ। ऐसे में पूरे देश में अरबों के सिक्के का डंप होना अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालने वाला मामला है। सीए प्रदीप झुनझवाला ने बताया कि पैसे से पैसा बनता है। सिक्कों का चलन नहीं होने से बड़ी राशि जमा हो रही है। इससे बाजार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

15 करोड़ से अधिक के सिक्के दुकानदारों के पास

इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला ने बताया कि जिले में छोटे–बड़े 30 हजार से अधिक दुकानदार हैं। यहां एक–एक सब्जी विक्रेता के पास 10 से 15 हजार रूपये के सिक्के जमा हो गये हैं। बैकों को चाहिए कि एक साइज के सिक्का का वजन कर रूपये में इसका भाव तय कर दें।

सिक्का रखने के लिए कम रूपये लेने को व्यापारी तैयार:– कागज कारोबार से जुड़े गोपाल खेतड़ीवाल का दावा है कि यहां ढ़ाई सौ बड़े व्यापारियों के पास 20 करोड़ से अधिक के सिक्के पड़े हैं, जिनके खपाने के लिए वह कम रूपये लेने को भी तैयार हैं। एक हजार के सिक्के के बदले वें नौ सौ रूपये भी लेने को तैयार हैं। बैंकों को कोई रास्ता निकालना चाहिए। विस्तृत–हिन्दुस्तान–05.09.2019

आरबीआई के पास 40 लाख करोड़ की संपत्ति, ट्रांसफर के बाद इमरजेंसी फंड में बचेंगे सिर्फ ₹1.77 लाख करोड़

आपात फंड में अब तक थे 2.3 लाख करोड़ रू. इसी फंड में से दिए जाएंगे 52.637 करोड़

रिजर्व बैंक ने 26 अगस्त को एक अहम फैसला लिया। 84 साल के इतिहास में पहली बार 1.76 लाख करोड़ रूपए का सरप्लस फंड केन्द्र सरकार को ट्रांसफर करने का माना जा रहा है कि इससे सुस्त पड़ी

अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी जा सकेगी। इसलिए भी अहम है, क्योंकि हाल ही में जीडीपी के आंकड़ों ने देश को निराश किया है। अप्रैल से जून की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट छह साल के न्यूतम स्तर महज पांच फीसदी पर रह गई है। जबकि पिछली तिमाही में यह 5.8% थी। सरकार लगातार बैंक रिफॉम्स में जुटी हुई है। बैंकों के मर्जर से लेकर विमल जालान कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करना इन्ही उपायों का हिस्सा है।

एक बात और जान लें– आरबीआई से सरकार को यह पैसा आसानी से नहीं मिला है। इसे लेकर मतभेद रह चुके हैं। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल व उनके डिप्टी विरल आचार्य अपने सरप्लस को सरकार के साथ बांटाना नहीं चाहते थे। उनके इस्तीफों की भी संभवतः यही वजह रही। हालंकि, दोनों ने इस्तीफों के पीछे निजी वजह ही बताई।

अब इस पूरे फंड ट्रांसफर को समझने से पहले हमें आरबीआई की बैंलेंस शीट को समझना होगा। दरअसल, आरबीआई के पास कुल 41 लाख करोड़ रूपए संपत्ति है। आरबीआई के रिजर्व के चार अहम हिस्से होते है। एक अहम हिस्सा कंटीजेंसी फंड कहलता है, यानि वो फंड जो आपात स्थिति में काम आए । अभी तक इस फंड में 2.3 लाख करोड़ रूपए थे। आरबीआई ने इसी फंड में से 52,637 करोड़ रुपए सरकार को देने का फैसला लिया है। ऐसी स्थिति में फंड ट्रांसफर के बाद आपात स्थितियों के लिए आरबीआई के पास 1.77 लाख करोड़ रुपए ही बचेंगे।

सरकार के लिए आगे रिजर्व बैंक से पैसा लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंटीजेंसी फंड अब अपने न्यूनतम स्तर पर होने से रिजर्व बैंक के पास भविष्य में बहुत अधिक विकल्प नहीं होंगे। सप्ताह के इस चर्चित मुद्दे पर हम आपको वह सब कुछ बता रहें जो अपको जानना जरूरी है।

हमारे एक्सपर्ट हैं, बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक राजीव कुमार गुप्ता

चिंता की वजह क्या है?

2012–13 तक आरबीआई अपनी कुल आयु का 32 से 45 फीसदी तक हिस्सा कंटीजेंसी फंड (सीएफ) में डालता था। इससे यह उसकी कुल संपत्ति का 9 से 10% तक हो गया था। लेकिन 2013–14 से इसमें कुछ नहीं डाला जा रहा था और आरबीआई की पूरी सरप्लस राशि सरकार को मिल रही थी। 2016–17 में आरबीआई ने एक बार फिर से इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया था। पिछले चार साल से यह 6 से 7 के स्तर पर बना हुआ था। अब इसे 5.5 फीसदी करने से आरबीआई के सामने भविष्य में बडे. कदम उठाने के विकल्प सीमित हो गए हैं। इस साल अब तक आरबीआई की नेट आय बहुत अधिक रही है, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटि बढ़ाने के लिए उसने बड़ी मात्रा में बांड खरीदे थे और उनके ब्याज से उसे भारी आय हुई है। हो सकता है अगले साल ऐसा न हो। इससे सरकार को भविष्य में फंड ट्रांसफर रूक सकता है।

आरबीआई के रिजर्व के ये चार हिस्से होते हैं

करंसी एण्ड गोल्ड रिवैल्यूएशन

आरबीआई करंसी एण्ड गोल्ड रिवैल्युएशन विदेशी मुद्रा और सोने में निवेश करता रहता है। इनकी कीमतों में परिवर्तन से यह खाता प्रभावित होता है। आरबीआई अगर 60 रुपए की दर से 100 डॉलर खरीदता है तो उसकी कुल पूंजी 6000 रु. होगी। अगर यह कीमत बढ़कर 70 रु. हो जाती है तो आरबीआई के इस खाते में एक हजार रुपए आ जाएंगे। यही सोने पर भी लागू होता है। यही आरबीआई का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसमें 2010 से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। करंसी वैल्यूएशन माह के अतिंम कार्यदिवस को ओर सोने का वैल्यूएशन 90 दिन के औसत पर लिया जाता है।

आरबीआई की बैंलेंस शीट में इस रिजर्व के तहत 6.9 लाख करोड़ रुपए थे।

कंटीजेंसी फंड (सीएफ)–आपात स्थिति में रिजर्व बैंक इस पैसे को इस्तेमाल करता है। यह रिजर्व बैंक के कुल खाजाने का एक चौथाई होता है। आरबीआई लाभ का एक हिस्सा इस अकाउंट में डालता रहता है।

बैलेंस शीट में 2.3 लाख करोड़ रूपया था।

इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट (आईआरए)– यह अकाउंट दो हिस्सों में होता है। एक मे विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं। जबकि दूसरे में रूपए की प्रतिभूतियां होती हैं।

एसेट डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)– यह अकाउंट अंदरूनी पूंजी खर्चों को पूरा करने और सहायक संगठनों में निवेश करने के लिए होता है।

ये दोनों रिजर्व का छोटा हिस्सा होते हैं। बैलेंस शीट में यह 30 हजार करोड़ रुपये था।

किस सिफारिश पर पैसा मिला

जालान पैनल ने सिफरिश की है कि कंटीजेंसी फंड यानी आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाला पैसा आरबीआई के कुल रिजर्व का 5.5 से 6.5% तक होना चहिए। अभी यह 6.8% था। इसलिए पैनल ने सीएफ को 5.5%पर रखते हुए यहां से 52,637 करोड़ सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया। विमल जालान पैनल की दूसरी सिफारिश थी कि रियलाइज्ड इक्विटी व आर्थिक पूंजी आरबीआई की बैंलेंस शीट का 20 से 24.5 फीसदी होना चाहिए। जून 2019 में यह 24.5 के स्तर पर था, इसलिए मौजूदा वित्तीय वर्ष की कुल आय1,23,414 करोड़ को सीएफ में ट्रांसफर न करते हुए सरकार को दे दिया जाए।

रियलजाइज्ड इक्विटी और अर्थिक पूंजी कुल मिलाकर 1,76,051 करोड़ रूपए बनती है।

सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां हैं

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इनकम टैक्स में 23 फीसदी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अप्रैल से जून के आंकड़े देखें तो डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 9.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। अब यह पैसा मिलने से सरकार अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को काफी हद तक पूरा कर सकेगी।

कहां–कहां से होती है रिजर्व बैंक की आमदनी

आरबीआई सामान्यतः निवेश एवं ऋण पर मिलने वाले ब्याज प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त से होने वाले लाभ एवं करंसी के मुद्रण से होने वाले लाभ के रूप में आय अर्जित करती है। इस साल रिजर्व बैंक की बैंलेंस शीट का साइज करीब 41 लाख करोड़ था।

किन स्थितियों में इस्तेमाल होता है कंटीजेंसी फंड

जब अप्रत्याशित वित्तीय संकट, किसी बड़े साइबर फ्रॉड ओर ऑपेरशनल रिस्क जिसमें प्रतिभूति एवं मुद्रा की कीमत में भारी गिरावट आ जाएं एवं किसी बड़े बैंक में अप्रत्याशित संकट आ जाए तो इनको समर्थन देने के लिए रिजर्व बैंक इस फंड का इस्तेमाल करता है।

आरबीआई के इस कदम से मुझे क्या मिलेगा

इन धन से आम आदमी को अभी सीधा कोई लाभ होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन, इससे सरकार लोगों पर पड़ रहे टैक्स के बोझ को कम कर सकती है। यह कमी इनकम टैक्स दरों के सरलीकरण के रूप में समाने आ सकती है। हाल ही में इस तरह की सिफारशि सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स भी कर चुकी है।

सरकार कैसे खर्च करेगी इस सरप्लस फंड को

अब सवाल यह है कि सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करती किस तरह से है। पिछले कुछ वर्षो में जीडीपी की तुलना में सरकार का पूंजीगत खर्च का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। इस बार सरकार को इस धन का उपभोग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय उत्पादकता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर स्थयी और गुणात्मक प्रभाव पड़े।

52,637 करोड़ रू. ही जाएंगे आरबीआई से

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक सरकार को ट्रांसफर होने वाली सरप्लस राशि आंकड़ों में तो 1,76,051 करोड़ है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक पर इसका कुल इम्पैक्ट 52,637 करोड़ ही आएगा। उनके मुताबिक आरबीआई सरकार को 28,000 करोड़ रूपए अंतरिम डिविडेंड के तौर पर पहले ही दे चुका है। इस तरह से अब 1,48,051 करोड़ रूपए की नेट देनदारी बची है। इस साल आइबीआई का कुल डिवडेंड 1,23,414 करोड़ रूपए रहने का अनुमान है। इसे कम करने के बाद सिर्फ 52,637 करोड़ रूपए ही रिजर्व बैंक सरकार को हस्तांरित करेगा। इस तरह से देखें तो यह राशि 1.76 लाख करोड़ रूपए की तुलना में काफी कम है।

विवाद भी रहा है सरकार को फंड ट्रांसफर करने पर

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग द्वरा रिजर्व बैंक से सरप्लस फंड लेने की सलाह देने के बाद से पिछले कुछ सालों में सरकार और आरबीआई के बीच यह धन विवाद का विषय रहा। गर्ग जालान पेलन में भी थे, हालांकि बाद में उनकी जगह राजीव कुमार आ गए थे। अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने वाले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल व उनके डिप्टी विरल आचार्य भी अपने सरप्लस को सरकार से बांटने के पक्ष में नहीं थे।

सरकार को अभी रिर्जव बैंक से मिले सरप्लस धन के इस्तेमाल के बारे फैसला करना है।

–निर्मला सीतारमन
वित्तमंत्री
स्त्रोत– भारतीय रिजर्व बैंक

साभार–दैनिक भास्कर–01.09.2019

2008 में बचत ही थी जिसने मंदी से बचाया था, इस मुश्किल वक्त में भी यही सहारा

- घरेलू वित्तीय बचत 1 साल में 1.6% बढ़ी
- लेकिन हमारी देनदारियां भी 1.3% बढ़ी हैं

बचत ही बलवान

लोगों के पास पैसा पर खर्च नहीं करना चाह रहे-भार्गव, विशेषज्ञों की राय निवश बढ़ेगा तो बचत बढ़ेगी

भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत सेविंग यानी बचत है। विकास दर भले ही थोड़ी कम हुई हो लेकिन देश में सेंविंग बढ़ी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017–18 में सकल घेरलू वित्तीय बचत जीएनडीआई (ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम) का 10.8 फीसदी रही है। जबकि यह इससे एक वर्ष पहले 9.2 फीसदी थी। इसी तरह हमारी शुद्ध वित्तीय बचत भी बढ़ी है। यह 2017–18 में 6.5% रही, जबकि एक वर्ष पहले यह आंकड़ा 6.2% था। हालांकि इन वर्षो में हमारे वित्तीय दायित्व (लायबिलीटी) भी बढ़ें हैं। यह 2017–18 में 4.3% हो गई जबकि एक वर्ष यह 3% ही थे। हालांकि विकास दर 5% होने के बाद सेविंग के संदर्भ में विशषज्ञों का कहना है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन वे अभी खर्च करना नहीं चाह रहे हैं।

10 सालों में कैसे पड़ा हमारी बचत पर असर

हमारी बचत
(हाउस होल्ड सेक्टर की फाइनेंशियल सेविंग)

मंद	2016–17	2007–08
a. ग्रॉस वित्तीय बचत	9.2	15.6
नगद (करेंसी)	-2	1.7
जमा	6.3	8.8
शेयर / डिबेंचर्स	0.2	1.6
क्लेम्स ऑन गवर्नमेंट	0.4	-0.6
इश्योरेंस / पीएफ / पेंशन फंड	4.3	4
b. वित्तीय देनदारी	3	4.4
c. शुद्ध वित्तीय बचत (a-b)	6.2	11.2

स्त्रोत– आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आंकड़े जीएनडीआई के प्रतिशत में

देश की बचत
(इसमें व्यक्ति, कंपनी, सरकार की बचत भी शामिल है)

वर्ष	सेविंग रेट	वर्ष	सेविंग रेट
2008	37.8%	2014	32.12
2009	36.02	2015	32.24
2010	36.01	2016	31.09
2011	36.90	2017	30.25
2012	34.64	2018	30.51
2013	33.88		

स्त्रोत– सीबीआइसी डेटा डॉटकॉम।

ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम करंट प्राइस पर वर्ष 2017–18 में 173.16 लाख करोड़ थी। वहीं 2016–17 में यह 155.65 लाख करोड़ थी।

विस्तृत–दैनिक भास्कर 08.09.2019

बैंक खाते में 3 बार से ज्यादा कैश जमा करने पर टैक्स

एसबीआई 1 अक्टूबर 2019 से अपने सर्विस चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। इसमे बैंक में रुपया जमा करना, रुपया निकालना, चेक का इस्तेमाल, एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े सर्विस चार्ज शामिल हैं।

3 बार से ज्यादा कैश जमा किया तो हर बार देने होंगे 56 रूपये:

एसबीआई जो सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है उसमें बैंक खाते में रुपया जमा करना शामिल है। बैंक के सर्कुलर के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद आप 1 महीनें में अपने खाते में केवल 3 बार रुपया मुफ्त में जमा कर पाएंगे। यदि इससे ज्यादा बार रुपया जमा करते हैं तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 50 रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) का चार्ज देना होगा। जब आप चौथी, पांचवीं या ज्यादा बार रुपया जमा करेंगे तो आपको हर बार 56 रुपए ज्यादा देने होंगे।

तकनीकी कारणों से चेक लौटा तो देने होंगे 168 रुपए:

एसबीआई ने चेक रिटर्न के नियमों को भी कड़ा कर दिया है। बैंक के सर्कुलर के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद कोई भी चेक किसी तकनीकी के करण (बांउस के अलावा) लौटता है तो चेक जारी करने वाले पर 150 रुपए और जीएसटी अतिरिक्त का चार्ज देना है। जीएसटी को मिलाकर यह चार्ज 168 रुपए होगा।

सस्ता होगा बैंक में जाकर आरटीजीएस करना

एसबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) पर लगने वाले चार्ज में राहत दी है। 1 अक्टूबर से बैंक शाखा में जाकर आरटीजीएस करना सस्ता हो जाएगा। साभार–दैनिक भास्कर 07.09.2019

2000–500 रुपये के नोट असली हैं या नकली, ऐसे पहचानें

कुछ माह से बाजार में 2000 व 500 के नकली नोट मिलने की खबर लगातार मिल रही है, इससे कारोबारी काफी पेरशान है, इन्हें असली तथा नकली नोट के पहचान की जानकरी नहीं है, बैंक कर्मचारी भी घोखा खा जा रहें हैं, इसलिए बैंक इन दिनों 2000 व 500 के नोट स्वीकार करने से पहले बारीकी से तहकीकात कर रहें हैं, 500 व 2000 के नोट असली है या नकली इसे लेकर रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेश विभाग गाइडलाइन जारी कर तरीका बताया है, अधिक जानकारी के लिए आरबीआई के वेबसाइट का सहारा लिया सकता है,

2000 रूपये का नोट पहचानने के तरीके

- नोट को रोशनी के सामने रखने पर 2000 रूपये लिखा दिखेगा।
- आँख के सामने 45 डीग्री के एंगल पर रखने पर 2000 लिखा दिखेगा।
- देवनागरी में 2000 लिखा दिखेगा।
- नोट के केन्द्र में सेन्टर में महात्मा गांधी की तस्वीर हैं।
- छोटे–छोट अक्षरों में अंग्रेजी में आरबीआइ और 2000 लिखा है।
- नोट के सिक्योरिटी थ्रेड पर आरबीआइ अंग्रजी में और 2000 लिखा है।
- नोट को हल्का सा मोड़ने पर इसके थ्रेड का रंग हरा से नीला हो जाता है।
- गांरटी क्लॉज, गवर्नर के हस्ताक्षर, प्रॉमिस क्लॉज और आरबीआइ को लोगो नोट के दहिने भाग में है।
- महात्मा गांधी की तस्वीर और इलेक्ट्रोटाइप (2000) वाटरमार्क है।
- ऊपर में सबसे बायी तरफ और नीचे में सबसे दाहिने तरफ लिखें नंबर बायें से दायें तरफ धीरे–धीरे बड़े होते जाते हैं।
- नोट के दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है।

ऐसे पहचाने 500 रूपये का नोट

- इस नोट को रोशनी के सामने रखने पर 500 रूपये लिखा दिखेगा।
- आँख के सामने 45 डीग्री के एंगल पर रखने पर 500 लिखा दिखेगा।
- देवनागरी में 500 लिखा दिखेगा।
- पुराने नोट के तुलना में महात्मा गांधी की तस्वीर स्थिति में मामूली–सा बदलाव हैं।

- 500 नोट को हल्का सा मोड़ने पर इसके थ्रेड का रंग हरा से नीला हो जाता है।
- पुराने नोट की तुलना में गांरटी क्लॉज, गवर्नर के हस्ताक्षर, प्रॉमिस क्लॉज और आरबीआइ को लोगो नोट के दहिने तरफ में है।
- महात्मा गांधी की फोटो और इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क है।
- ऊपर में सबसे बायीं तरफ और नीचे में सबसे दाहिने तरफ लिखें नंबर बायें से दायें देखने पर बड़े होते जाते है।
- नोट पर लिखा 500 का रंग बदलता है।

साभार- प्रभात खबर -10.09.2019

अब किसी भी बैंक के ग्राहक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से निकाल सकेंगे पैसे

पहले एक साल में ही एक करोड़ ग्राहक बनाने के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) ने आधार आधारित सभी सेवाएं देने की घोषणा की। इससे अब किसी भी बैंक के ग्राहक आईपीपीबी के माध्यम से अपने पैसा निकाल सकेंगे।

विस्तृत–दैनिक भास्कर–10.09.2019

तीन माह में सरकारी बैंकों में 31899 करोड़ की धोखाधड़ी

सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि मैजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 18 बैंकों में कुल 31,898.63 करोड़ रूपए की धोखाधड़ी के 2,480 मामले सामने आए हैं। देश का शीर्ष बैंक एसबीआई इस अवधि में धोखधड़ी का सबसे बड़ा शिकार बना, क्योंकि इसमें से करीब 38 प्रतिशत धनराशि से जुड़े मामले केवल इसी बैंक की ओर से जाहिर किए गए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता बताया कि आरबीआई के एक अधिकारी ने उन्हें यह जानकारी दी है। आरटीआई के तहत मिले जवाब से पता चलता है कि 30 जून को समाप्त तिमाही में एसबीआई में धोखाधड़ी के 1197 मामलों को पता चला जो कुल 12,012.77 करोड़ रूपए की राशि से संबधित थे।

खुलासा

- **आरटीआई के तहत मिली जानकारी में हुआ है यह खुलासा**
- **भारतीय स्टेट बैंक बना धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार**
- **धोखधड़ी के 38 फीसदी तक मामले स्टेट बैंक से है जुड़े**

किस बैंक में कितनी धोखाधड़ी (रकम करोड़ रूपए में)

बैंक का नाम	फंसी रकम	बैंक का नाम	फंसी रकम
एसबीआई	₹ 12012.77	आईओबी	₹ 934.67
इलाहाबाद बैंक	₹ 2855.46	सिंडिकेट बैंक	₹ 795.75
पीएनबी	₹ 2526.55	युनियन बैंक	₹ 753.37
बॉब	₹ 2297.05	बीओआई	₹ 517.20
ओरियंटल बैंक	₹ 2133.08	यूको बैंक	₹ 470.74
केनरा बैंक	₹ 2035.81	बीओएम	₹ 253.43
सेंट्रल बैंक	₹ 1982.27	आंध्रा बैंक	₹ 136.27
यूनाइटेड बैंक	₹ 1196.19	इंडियन बैंक	₹ 37.17
कॉरपोरेशन बैंक	₹ 960.80	पीएंडएस बैंक	₹ 2.2 लाख

सभार–राष्ट्रीय सहारा–09.09.2019

बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अधूरी

इनकम टैक्स विभाग को असेसमेंट इयर 2019–20 के लिए आयकरदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दिया है, लेकिन इमनें से लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्होने इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाइ नहीं किया है, ज्ञात हो कि बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी है, ऐसे में आपका रिटर्न अधूरा माना जायेगा, अगर आपने आइटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन अगले 120 दिनों में उसका विरेफिकेशन नहीं किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह मानता है कि आपने आरटीआर फाइल ही नहीं किया है, इस स्थिति में इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेट अशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि रिटर्न भरने के बाद अप आधार ओटीपी के जरिये उसे वेरीफाइ कर सकते हैं, हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा, इसको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर डालने के बाद आपका रिटर्न वेरीफाइ हो जायेगा। **नेट बैंकिग से भी कर सकते हैं वेरीफाइः** बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें टैक्स टैब में इ–वेरीफाइ का विकल्प मिलेगा, क्लिक करते ही जरूरी पेज तक पहुंच जायेंगे, इसमें माय अकाउंट टैब पर क्लिक करें, इवीसी जेनरेट करें, इससे भी आइटी आर वेरिफाइ होगा।

इवीसी से वेरिफिकेशन

इनकम टैक्स विभाग आपको बैंक अकांउट के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न को इ–वेरीफाइ करने की सुविधा देता है, इस माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाइ करने के लिए आपको पहले इसे वेलिडेट करना होगा, इसमें आपको बैंक का नाम, अकांउट नंबर, आइएफएससी कोड और मोबाइल नंबर डालना होगा। वेलिडेशन होने के बाद आप माय अकांउट टैब में जेनरेट इवीसी पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जायेगा, माय अकांउट टैब में इ–वेरीफाइ के विकल्प पर क्लिक करें, यहां कोड डालने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाइ हो जायेगा। **बैंक एटीएम के जरिये भी आइटीआर वेरीफाइ कर सकते हैं:** बैंक के एटीएम पर जाएं, एटीएम कार्ड डालने के बाद पिन नंबर डालेंगें तो आपको पिन फॉर इ–फाइलिंग का एक विकल्प दिखेगा, क्लिक करने के बाद यह पिन आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जायेगा, 72 घंटे तक वैलिड होता है, आयकर विभाग की वेबासाइट पर जाइए, वहां माय अकाउंट पर क्लिक करें और इ– वेरीफाइ ऑप्शन पर क्लिक कर कोड डाले, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आरटीआर वेरीफाइ हो जायेगा

साभार– प्रभात खबर–07.09.2019

सीधे नोटिस नहीं भेज पाएंगे टैक्स अफसर

अक्टूबर से लागू होगी नोटिस भेजने की केंद्रीयकृत व्यवस्था

आगामी दो अक्टूबर से कोई भी आयकर अधिकारी किसी व्यक्ति को सीधे कर नोटिस नहीं भेज पाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने एक बहुत ही अहम निर्णय लिया है कि दो अक्टूबर से कोई भी आयकर नोटिस सीधे नहीं भेजा जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि हर नोटिस एक केंद्रीयकृत सिस्टम या प्रणाली में आएगी और वहां इसकी उचित पड़ताल के बाद ही इसे आगे भेजा जाएगा। इससे आयकर अधिकारी बेलगाम ढ़ग से आयकर नोटिस भेजने के फेसले नहीं ले पाऐंगे।

विस्तृत–राष्ट्रीय सहारा–12.09.2019

Prosecution Norms Eased for TDS, I-T Return Filing Defaults -

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has relaxed some norms relating to prosecution income tax defaulters for delay in depositing TDS (tax deducted at source), under-reporting of income in the tax return or non-filing of I-T return.

CBDT's circular, issued on September 9, sets the limit and time period for proceeding with persecution in respect of TDS defaults. It states: Cases where non-payment of TDS is Rs. 25 lakh or below and delay in deposit is less than 60 days from the due date shall not be processed for prosecution in normal circumstances. However, ir-

respective of this, recourse will continue to lie against habitual defaulters, with the approval of a "collegium" comprising of two senior ranking officers.

Finance Minister Nirmala Sitaraman had tweeted last month; "I have instructed the revenue secretary to come up with measures to ensure that honest taxpayers are not harassed and those who commit minor or procedural violations are not subjected to disproportionate or excessive action."

It may be recalled that Bollywood producer Firoz Nadiawala had hit the headlines in May when Mumbai's magistrate court sentenced him to rigorous imprisonment of three months for delay in depositing TDS of Rs. 8.56 lakh. This was because Section 276B provides for prosecution for a period between three months and seven years irrepecitve fo the period of delay or the quantum fo TDS not deposited in time. Across India, several such sentences have been issued magistrate courts.

Duo gets 3- month jail for TDS deposit delay

Two Mumbai constructions firm directors have been sentenced to 3 month' s rigorous imprisonment for a one-year dealy in depositing Rs 6 lakh collected as TDS in 2009-10. Additional chief metropolitan magistrate Irfan Rehamn Shaikh Said even if payment was belated, it would be treated as default, and action can be taken under the I-T Act.

Detail: Times of India-12.09.2019

अगले माह से जांच में मानव हस्तक्षेप नहीं

सरकार की महत्त्वाकंक्षी फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (मानव हस्तक्षेप रहित समीक्षा प्रणाली) के तहत देश भर में शुरू में सीमित मामलों की ही पड़ताल की जाएगी। इसके बाद अगले 12 महीनें मे जांच के सभी मामले इसके दायरें में आ जाएंगे। इस योजना का क्रियान्वयन 8 अक्टूबर से होने जा रहा है। हालांकि इस बदलाव के दौरान कर अधिकारियों और करदाओं दोनों कों परेशनियों का समाना करना पड़ सकता है।

सीमित जांच के तहत करदाता को उसी लेनदेन की खास जानकारी देनी होगी, जिसके बारे में पूछताछ की गई है। इसके उलट पूर्ण जांच के मामले में किसी व्यक्ति को वे सभी सूचानाएं देनी होती है, जो कर रिटर्न के ऑडिट के लिए जरूरी समझी जाती है । करदाताओं को जांच के सिलसिले में जो नोटिस भेजे जाते है, उनकी दो श्रेणियां होती है ।

- **करदाताओं के खातों के लिए आवश्यक ढ़ांचा पूरी तरह नहीं तैयार।**
- **सीएजी द्वारा राजस्व ऑडिट के लिए जांच की जानकारी फिजिकल फॉर्मेट में देनी हेाती है जरूरी।**
- **कर विभाग द्वारा जानकारी हासिल करने के लिए एक पृथक खाता तैयार करने की कवायद जारी**
- **नई प्रणाली के बाद कंपनियों द्वारा कर कानूनों पर शुरू हो सकती है माथापची।**
- **नई प्रणाली 18 कर क्षेत्रों में होगी लागू।**

विस्तृत–बिजनेस स्टैंडर्ड–10.09.2019

जीएसटी रिफंड के लिए होगी सिंगल विंडो, नहीं करना होगा लंबा इंतजार

निर्यातकों को अब जीएसटी रिफंड पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ऐसा सिस्टम लाने जा रही है जिसमें रिफंड को एक ही अधिकारी जारी कर सकेगा। यदि कोई निर्यातक एसजीएसटी अधिकारी के पास रिफंड क्लेम करता है, तो वह अधिकारी उसे मंजूरी देकर सीजीएसटी अधिकारी के पास भेज देगा जो अपने स्तर पर ही सीजीएसटी व एसजीएसटी का रिफंड जारी कर देगा। माह के अंत में केन्द्र और राज्य के अधिकारी उसे आपस में एडजस्ट कर लेंगे। जीएसटी काउंसिल की 20 सिंतबर को होने वाली बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।

विस्तृत-दैनिक भास्कर-09.09.2019

निवेश आकर्षित करने को देशभर में होंगे रोड शो

राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग अब रोड शो करेगा। यह शो देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों में होगें। इनके माध्यम से निवशकों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुवधिाओं की जानकारी दी जाएगी। उद्योग मित्र की बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। नवंबर से रोड शो के आयेाजन का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

बिहार में जमीन की दिक्कत के चलते बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है। । हालांकि राज्य सरकार की मंशा मध्यम एवं लघु इकाइयों के जरिए अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करने की है। निवशकों को यहां उद्योाग लगाने की स्थिति में सरकार विभिन्न सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। बाबवजूद इसके अपेक्षा के अनुरूप उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। ऐसे में उद्योग विभाग की इकाई उद्योग मित्र द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में रोड शो के जरिए बिहार में निवशकों को न्योता देने का फैसला किया गया है। रोड शो के जरिए राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

इन शहरों में होगे आयोजन

यह रोड **शो बंगलूरू, मुंबई, इंदौर, सूरत, गुरूग्राम, सिलीगुड़ी, चेन्नई, पुणे, नागपुर, कोच्चि, हैदाराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर गुवाहाटी, और देहारदून** में आयोजित होगें। इसका खर्च औद्योगिक अभियान मद से उठाया जाएगा। सभी रोड शो में निवेश आयुक्त और निदेशक मौजूद रहेंगे।

साभार–हिन्दुस्तान–05.09.2019

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ निवेश करेगी सरकार

वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी

केन्द्र सरकार ने शनिवार 07.09.2019 को कहा कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2024–25 तक 100 लाख करोड़ रूपये के निवेश बड़ी योग्य ढांचागत परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कार्यबल की अगुवाई आर्थिक माामलों के सचिव करेंगे। कार्यबल 100 लाख करोड़ रूपये से 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन' का खाका खीचेगा। इसमें नई परियोजनओं के साथ ही पुराना परियोजनओं का विस्तार भी शामिल होगा।

साभार–दैनिक भास्कर–09.09.2019

जीएसटी विभाग पटना ने लोगों और व्यापारियों की सुविधा के लिए दिया नया प्लान

30–50% टैक्स दीजिए, परेशानी से छुटकारा पाइए

'सबका विश्वास योजना' 31 दिसंबर तक के लिए है मान्य

उद्यमियों और अन्य करदाताओं को जीएसटी के मामलों का निपटारा करने के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स के मामलों को निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना' लेकर आई है, यह योजना एक सिंतबर से लागू हो गई है, इसके तहत सभी प्रकार के टैक्स विवाद को बेहद सरल तरीके से निपटाने के लिए यह स्कीम लाया गया है। इसमें यदि टैक्स को लेकर सरकार के साथ 50 लाख या इससे कम विवाद है तो ऐसे मामले में कुल राशि का 30 फीसदी देकर राहत पाया जा सकता है। वही, जिन व्यापारियों का 50 लाख से,

ज्यादा का टैक्स विवाद है तो वे विवादित टैक्स की 50 फीसदी राशि देकर सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इस बारे में जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर देश दीपक ने कहा कि यह स्कीम 31 दिसंबर तक लागू की गई है। टैक्स के सहज तरीके से निपटारे को ही यह योजना लाई गई है।

एक बार में पूरी राशि देनी होगी

सीए आशीष अग्रवाल ने बताया कि 'सबका विश्वास योजना' टैक्स विवादों को निपटानें के लिए बहुत अच्छी योजना है। यदि मान लें कि 40 लाख का टैक्स विवाद है तो इसका 30 फीसदी यानि 12 लाख रूपए देकर पेनाल्टी, ब्याज और मुकदमा तीनों से मुक्त हो जाएंगें, जिससे प्रावधान के अनुसार विवाद निपटान के लिए जो राशि दी जाएगी वह एक बार में ही देनी होगी, इससे सभी प्रकार के व्यापारियों को बड़ी राहत होगी, इसमें सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के मामले शामिल है। इस प्रकार उद्यामियों को टैक्स की अदायगी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसके तहत सभी श्रेणी के मामलों में टैक्स राहत दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स से जुड़े पुराने मुकदमों में 3.75 लाख करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व फंसा हैं।

साभार–दैनिक भास्कर 09.09.2019

अब पार्किंग शुल्क पर देना होगा 18 फीसदी जीएसटी

राजधानी के तीन फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बंदोबस्त तय

राजधानी में अब गाड़ी मालिकों को वाहन पांर्किंग शुल्क पर 18 फीसद वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) देना होगा। बेली रोड, एक्जीबिशन रोड और स्टेशन रोड फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग बंदोस्बस्त कर दिया गया। इससे सरकार को करीब 79.41 लाख रूपये की आमदनी हुई। इन जगहों पर 694 कारों के साथ 1043 दोपहिया वाहन के लिए स्थल मुहैया करा दिया गया है।

विस्तृत–दैनिक जागरण–08.09.2019

बिजली कंपनी भी अब देगी ब्रॉडबैंड कनेक्शन

घरों में इंटरनेट चलाने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन अब बिजली कंपनी भी देगी। आने वाले दिनों में यह संभव हो सकेगा। कंपनी अपने सभी ग्रिड सब–स्टेशनों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ रही हैं। इससे कंपनी राज्य में की जा रही बिजली आपूर्ति की सटीक जानकारी लेने के साथ ही संचार कंपनियों में माध्यम से लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन देगी।

विस्तृत–हिन्दुस्तान–12.09.2019

लगेगा बिल का झटका, अब रेट तय करेंगी प्राइवेट कंपनियां

बिजली वितरण का काम फ्रेंचाइजी को देने की हो रही है तैयारी

जल्द ही राज्य के बिजली कंज्यूमर को बिजली का झटका लग सकता है, दरअसल केद्र सरकार राज्यों के लिए एक प्रस्ताव लेकर आ रही है इस स्कीम के अनुसार प्राइवेट कंपनियाँ बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। इसके लिए एरिया वाइज टेंडरिंग की जाएगी और इसमें वें अपने तय रेट के हिसाब से बिजली देंगी। वर्तमान में बिजली के रेट के लिए घरेलू कॉमर्शियल, ग्रामीण और अन्य कैटेगरी है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनियाँ बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगी तो ये कैटेंगरी खत्म हो जाएगी। कंपनियों का अपना रेट ही लागू होगा । इसे लागू करने के लिए एलटी लाइन से सर्विस वायर जोड़कर राज्य भर के कंज्यूमर को प्राइवेट कंपनियाँ बिजली कनेक्शन देगी।

विस्तृत–आइनेक्स्ट 12.09.2019

एमएसएमई को भुगतान में विलंब पर हो कड़ी कर्रवाई

एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सरकार जल्द ही यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों को लागू करने के बारे में फैसला करेगी। साथ ही एमएसई को पेमेंट में विलंब के मामलों में सख्ती बरती जाएगी।

एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार 05.09.2019 को नेशनल वर्कशॉप ऑन क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और एमएसएमई को पेमेंट मे विलंब के मुद्दे पर भुगतान पर चर्चा के दौरान इस आशय की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार 15 दिनों के बाद समिति की सिफरिशों को लागू करने की स्थिति में आ सकती है।

एमएसएमई से वस्तुओं की आपूर्ति लेने के बाद उन्हें पेमेंट न करने के उदारणों का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि बार–बार इस तरह नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की जरूरत है। सरकार इस संबंध में उपाय करेगी । एमएसएमई को भुगतान में देरी से उनकी वर्किंग कैपिटल में कमी आती है। उन्होनें इस संबंध में वित्त मंत्री से बातचीत की है ताकि इस मुद्दे का हल निकाला जा सके। यूके सिन्हा समिति की रिपोर्ट के बारे में गडकरी ने कहा कि उन्होनें इस संबध में वित्त मंत्री से चर्चा हुई है। मंत्री ने कहा कि भारत को वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए एमएसएमई को जीडीपी में उनका योगदान 29 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट करना होगा। साथ ही उन्हें निर्यात में उनका योगदान मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर से 50 प्रतिशत करना होगा। एमएसएमई क्षेत्र में अब तक 11 करोड़ नौकरियाँ सृजित करने के लिए इस क्षेत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है।

बोले गडकरी

- **यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों को लागू करने के बारे में जल्द फैसला करेगी सरकार।**
- **15 दिनों बाद समिति की सिफारिशों लागू करने की स्थिति में होने का गडकरी ने दिया भरोसा**

यह है सिफारिश

सिन्हा समिति का गठन आरबीआई ने किया था। समिति ने 5,000 करोड़ रूपये का फंड बनाने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की तर्ज पर एमएसएमई के कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू करने की सिफरिश की है।

सभार–दैनिक जागरण–06.09.2019

बिहार में लगेंगे 250 मेगावाट के 10 सौर बिजलीघर, 1500 करोड़ का होगा निवेश

राज्य सरकार देगी सुविधा प्राइवेट सेक्टर लगाएगा प्लांट

बिहार में 250 मेगावाट के 10 सौर बिजलीघर लगेंगे। बिजलीघरों की संख्या बढ़ भी सकती है। बिजलीघर के निर्माण पर 1500 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है। प्रदेश में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर सौर बिजलीघर लगाने की योजना पर काम शरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों इस परियोजना को हरी झंडी देने के बाद मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ब्रेडा ने 'इन्वेस्टमेंट मॉडल' के आधार पर काम शुरू कर दिया है। अब मामला रेगुलेटरी कमीशन के पास है।

राज्य में पहली बार एक साथ इतने बड़े स्तर पर सौर बिजलीघर लगेंगे, जिसमें इतनी बिजली पैदा हो सकेगी। इस योजना में संबंधित कंपनी को अपने स्तर से जमीन लेनी है और खुद ही निवेश करना है। बिजलीघर लगाने की पूरी कार्ययोजना उसे अपने स्तर से बनानी होगी। राज्य सरकार इसमें उन्हें सिर्फ सुविधा उपलब्ध कराएगी और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करेगी। बिजलीघर लगाने वाली कंपनी से पावर पर्चेज एग्रीमेंट (पीपीए) किया जाएगा और रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित दर पर उसने बिजली खरीदी जाएगी।

सस्ती होगी बिजली

इस सौर ऊर्जा घरों से पैदा होने वाली बिजली के बेहद सस्ता होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इनसे तीन से चार रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उत्पादित होगी। इस समय बिहार बिजली कंपनी से 4. 07 रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती है।

बिजली को लेकर बाजार पर कम होगी निर्भरता

250 मेगावाट बिजली मिलने पर बिहार की बाजार पर निर्भरता कम होगी। इस समय बिहार 1000–1100 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदता है। इसके लिए कीमत भी अपेक्षाकृत अधिक चुकानी पड़ती है। सौर बिजलीघरों से बिजली मिलने पर इतनी बिजली बाजार से कम खरीदनी पड़ेगी।

विस्तृत–दैनिक भास्कर 04.09.2019

फोन नंबर कराएं रजिस्टर्ड मिस्डकॉल पर मिलेगा बिल

अब बिजली बिल के लिए बिजली कर्मी की जरूरत नहीं होगी। अपने मोबाइल से मिस कॉल करने के साथ ही बिजली बिल मिल जाएगा। बिजली कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं की सुवधिओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब सिर्फ मिस्डकॉल करने पर ही बिजली बिल आपके स्मार्टफोन पर मिल जाएगा। आपको इसके लिए 7666008833 नंबर पर मिस्डकॉल करना होगा इसके बाद मोबाइल पर लिंक आएगा, इस पर क्लिक करें तो बिजली बिल आ जाएगा राज्यभर के डेढ़ करोड़ उपभोक्तओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा, अगर आप बिजली उभोक्ता हैं, तो अपने मोबाइल नंबर का तुरंत निबंधन कराएं।

रजिस्ट्रेशन जरूरी

अगर आप पटना शहर में रहते हैं। तो सभी आपूर्ति प्रमंडलों के सुविधा केंद्र में नंबर को निबंधित करा सकते हैं। पटना शहरी क्षेत्र से बाहर के उपभोक्ता आपूर्ति प्रमंडल और अवर प्रमंडल में मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते है। मोबाइल रजिस्टर्ड रहने पर ही स्मार्टफोन पर बिजली बिल मिलेगा।

विस्तृत–दैनिक जागरण आइनेक्स्ट 05.09.2019

12 किस्म के प्लास्टिक उत्पादों पर लगेगी पांबदी

सिगरेट के टोटे (बट्स) को दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदुषक माना जाता है। ऐसे में देश में एकबार ही इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज) उत्पादों पर पाबंदी लगाने की केंद्र सरकार की सूचि में इसे भी शामिल किया गया है। स्ट्रा इयर बडस, गुब्बारे, झंडे और कैंडी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्टिकस, पतली प्लास्टिक की थैंलिया (50 माइक्रोन्स से कम), नॉन–वूवन कैरी बैग्स जैसे 12 तरह के प्लास्टिक प्रदुषक केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सूची में शामिल हैं जिन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

सिगरेट के टोटे में फिल्टर होता है, जिसे आमतौर पर सेल्यूलोज ऐसिटेट से बनाया जाता है, जो एक तरह का प्लास्टिक होता है।

सीपीसीबी ने पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक की परिभाषा तय की है। इसके अनुसार निपटान या पुनर्चक्रण से पहले केवल एक बार पैंकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले फेंकने योग्य होते है और कचरे के ढ़ेर लैंडफिल या सड़कों–गलियों में ऐसे ही फेंक दिए जाते है, वह हमारी वनस्पतियों और जीव–जन्तुओं के स्वास्थ्य या पार्यवरण के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होते हैं।

बेवरिज फर्मों को इससे थोड़ी राहत मिल सकती है क्योकि 200 मिली लीटर से छोटी बोतलों को ही प्रस्तावित पांबदी वाली सूचि में रखा गया हैं।

सरकार का मकसद एकबार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का है। सरकार के इस कदम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपने भाषण में की थी। उन्होंनें ग्रेंटर नोएडा में मरूस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई पर 14 वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) में करीब 200 देशों के शिष्टमंडल को संबोंधित करते हुए इस प्रतिबद्धता को दोहराया।

मोदी ने कहा, 'मेरी सरकार ने आने वाले वर्षों में भारत में सिंगल यूज प्लास्टिकको खत्म करने की घोषणा की है। मेरा मनाना है कि अब समय आ गया है कि दुनिया भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की पहल की जाए।'

सीपीसीबी की प्रस्तावित सूची, जिन पर लगेगी पांबदी

- **बेवरिजेज के लिए छोटी पलास्टिक की बोतलें (200 मिली से कम)**
- **इयर बड्स, गुब्बारे, झंडे और कैंडी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्टिक्स**
- **प्लास्टिक की पतली थैलियां (50 माइक्रोन से कम)**
- **कटलरी: लेमिनिटेड कटोरियां और प्लेट (नॉन–फोम्ड)**
- **छोटे प्लास्टिक के कप/कंटेनर (150 मिली से कम)**
- **फोम वाले कप, दोने और प्लेट**
- **नॉन–वूवन कैरी बैंग्स, छोटे रैंपिंग/पैकिंग फिल्म, स्ट्रॉ/स्टरर्स**
- **थर्मोकोल**
- **संड़क किनारे लगाए जाने वाले बैनर (100 माइक्रोन से कम)**

विस्तृत–बिजनेस स्टैंडर्ड 10.09.2019

पटना के कचरे से बनेगीं रूई, कपड़े व खिलौने

नगर निगम ने 'रिलायंस' व गणेश' कपंनी से किया करार, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा कार्य

अब वह दिन दूर नहीं, जब पटना में निकलने वाले कचरे से 'रिलायंस इंडस्ट्रीज' और 'श्रीगणेश टेक्सटाइल्स' रूइ, कपड़े और खिलौने बनाएंगे। इसके लिए हरित रिसाइकिलर्स एसोसिएशन ने दोनों कंपनियों के साथ करार किया है। मालूम हो कि कानपुर स्थित श्रीगणेश टेक्सटाइल्स बेकार प्लॉस्टिक की बोतलों की रिसाइकिलिंग कर उनसे कपड़े वे खिलौनों का निर्माण करती है। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इनसे रूई बनाती है।

दरअसल गैर सरकारी संगठन हरित रिसाइकिलर्स एसोसिएशन शहर से निकलने वाले प्लास्टिक के कचरे की रिसाइकिल कर उससे सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री बनाने के लिए गर्दनीबाग में मशीनें लगा रहा है। यह परियोजना यूनाइटेंड नेशंस प्रोजेक्ट के तहत पटना नगर निगम के सहयोग से कोका कोला की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटि (सीएसआर) के अतंर्गत चलाई जा रही है। इस पर प्रारंभिक चरण में 50 लाख रूपये खर्च होंगें। यहां अक्टूबर से प्लास्टिक के कचरे से सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री का निर्माण होने लगेगा। प्रतिदिन इस मशीन से 10–12 टन सामग्री निकलेंगी। यह प्रतिकिलो 30 रूपये की दर से बिकेगी। सड़क निर्माण में लगी कंपनी और एंजेसी द्वारा इस पर करार दिया गया है। हरित रिसाइकिलर्स एसोसिएशन के सचिव शशिभूषण कुमार ने बताया कि पहले चरण में पटना के दस वार्डों–दो, तीन, चार, पांच, आठ, नौ, 20, 21, 28 व 37 से निकलने वाले प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल वे सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री बनाने के लिए करेंगे। बिस्कुट, कुरकुरे, चायपती सहित अन्य खाद्य सामग्री की पैकिंग में प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक के रैपर के लिए भी इसका उपयोग होगा। इसे मल्टी लेयर प्लास्टिक कहते है। कचरे से इसे निकालकर उसे ठीक तरीके से साफ–सफाई कर मशीन से उसके दो मिलीमीटर आकार का बुरादा बनाया जाता है। कोलतार से बनने वाली सड़क में इसका प्रयोग किया जाता है। कोलतार गर्म होने पर इसे उसमें मिला दिया जाता है। इससे सड़क को मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। वहीं उन्होनें कहा कि कचरे से निकलने वाली प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल के लिए 'गणेश' व' रिलायंस के साथ करार किया गया है। इसके बाद बोतलों को यहां से उन तक पहुंचाया जाएगा। इससे पर्यावरण भी सुरिक्षत रहेगा और लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकेगा।

साभार–दैनिक जागरण–09.09.2019

नवीनगर बिजलीघर की अगली युनिटों में बिहार का कोटा बढ़ा

88% हुई दोनों यूनिट में हिस्सेदारी, केंद्र ने जारी किया नया शिड्यूल

नवीनगर बिजलीघर से बिहार को अब लगभग 85 फीसदी बिजली मिलेगी। केंद्र ने बिजलीघर में हिस्सेदारी को लेकर नया शिड्यूल जारी कर दिया है। इससे 78.40 फीसदी की जगह 84.70 फीसदी बिजली मिलेगी। यानि बिहार की हिस्सेदारी में छह फीसदी से अधिक का इजाफा किया गया है। हालांकि, पहली यूनिट में बिहार की हिस्सेदारी पहले की ही तरह 78.40 फीसदी रखी गयी है। अगली दोनों यूनिट में बिहार को करीब दस फीसदी अधिक बिजली मिलेगी। इसमें बिहार की हिस्सेदारी

88 फीसदी कर दी गयी है। इस बढ़ोतरी के बाद बिजलीघर में बिहार की हिस्सेदारी करीब 85 फीसदी हो गयी है।

साभार–दैनिक भास्कर–08.09.2019

झारखंड से बिहार औद्योगिक वित्त निगम संपत्ति विवाद के जल्द निपटारे की करेगा अपील

बिहार औद्योगिक वित्त निगम झारखंड से परिसंपत्ति मामले को जल्द निपटारा करने के लिए आग्रह करेगा। वित्त निगम का झारखंड में करीब 1300 करोड़ रूपए की संपत्ति है। यह मामला राज्य के बंटवारे के बाद से ही लटका है। इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तर पर भी कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। राज्य सरकार बंद पड़े औद्योगिक वित्त निगम को रिवाइव करने की दिशा में आगे बढ़ी है। योजना के तहत निगम को कुछ पूंजी राज्य सरकार देगी। निगम अपने संपत्ति को भी बेचकर पूंजी इकट्ठा करेगा।

विस्तृत–दैनिक भास्कर–08.09.2019

बिहार में मिलावट की जांच के लिए सिर्फ 14 अफसर

खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग के पास है। मगर पूरे बिहार में इन पदार्थों की निगरानी के लिए महज 14 लोग हैं। इसमें से भी एक निलंबित है। हर वीआईपी ड्यूटि भी इन्ही में से लगाई जाती है। इसके अलावा जिला और प्रमंडल से लेकर राज्य स्तरीय बैठकों में भाग लेने की जिम्मेदारी अलग। ऐसे में यह खाद्य संरक्षा अधिकारी अपना मूल काम छोड़ सबकुछ कर रहें हैं। इस हालात में मिलावटखोरों की चांदी है।

आठ साल से खाली पड़े हैं पद

वर्ष 2011 में खाद्य संरक्षा अधिकारियों के 105 पद स्वीकृत हुए थे। आठ साल से यह पद खाली पड़े हैं। जबकि इस अविध में विभिन्न खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी के मामलों में कई गुना इजाफा हुआ है।

खाद्य संरक्षा अधिकारी के ये हैं प्रमुख काम

खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य संरक्षा अधिकारियों का प्रमुख काम सभी प्रकार के खाद्य पदार्थो का समय–समय पर नमूना लेने का है। फिर इन नमूनों की जांच कराकर उसके नतीजे के आधार पर आगे की कार्रवाई करना है। जांच में गड़बड़ी समाने आने पर कैस दर्ज कराने का जिम्मा भी इन्ही पदाधिकारियों के पास है। इसके अलावा खाद्य संबंधी लाइसेंस जारी करने का काम भी इन्हीं को करना है। वहीं, खाद्य पदार्थो के व्यवसाय से जुड़े लोगो को प्रशिक्षण देना भी खाद्य संरक्षा अधिकारियों का प्रमुख काम है।

विस्तृत–हिन्दुस्तान–07.09.2019

हादसों में सालाना 1.5 लाख मौतें इसलिए जुर्माना बढ़ाया: गडकरी

मोटर व्हीकल एक्ट विवाद पर सरकार का जवाब

नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगने के बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि पैसे इकट्ठे करने के लिए जुर्माना नहीं बढ़ाया गया है। इसका मकसद लोगों को नियम तोड़ने से रोकना है। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम की 59 वीं वार्षिक बैठक से इतर गडकरी बोले–हर साल देश में पांच लाख सड़क हादसों में डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। सरकार चाहती है कि दुर्घटनाएं कम हों, ताकि लोगों की जान बच सके। नए कानून के बाद ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग कानून का पालन शुरू कर देंगे, तो जुर्माने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि दरअसल 1 सितंबर से लागू संशोधित मोटर वाहन कानून में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना 30 गुना तक बढ़ गया है।

पेट्रोल-डीजल वाहनों पर पांबदी का इरादा नहीं

गडकरी बोले पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर पांबदी की कोई समय सीमा तय नहीं है और न ही ऐसा कोई इरादा है। सरकार बिजली और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि देश पर पेट्रोलियम आयात का 7 लाख करोड़ रूपए का सलाना बोझ पड़ता है। साथ ही प्रदुषण भी होता है।

सभार–दैनिक भास्कर–06.09.2019

चेकिंग में कागजात नहीं जब्त कर सकते

किसी भी वाहन के कागजों को भौतिक रूप से जब्त नहीं करने के लिये सड़क परिवाहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों की 08.08.2019 को आदेश दिया था, केन्द्र सरकार के पत्र संख्या आरटी 11036/64/2017 एमवीएल में स्पष्ट निर्देश है कि प्रवर्तन के समय अभियोग (चालान) की स्थिति में अधिकारी डाक्यूमेंट को ई–चालान सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रोनिकली जब्त किया जाये, जिससे जब्त डाक्यूमेंट की स्थिति सारथी/वाहन डाटाबेस पर प्रदर्शित हो, किसी भी डाक्यूमेंट को भौतिक रूप से जब्त करना जरूरी नहीं है,

डीजी लॉकर में रखे वाहनों के कागज हैं मान्य

अपने डाक्यूमेंट को ऐसे करें डिजिटल

डीजी लॉकर में रखे वाहनों के कागज भौतिक कागजों की तरह मान्य है। इसके लिये सबसे पहले प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर इंस्टाल करें, एप को ओपन करें, साइन अप पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर डालें ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाइ पर क्लिक करें, नया पेज ओपन होने पर यूजर नेम और पासवर्ड डाले, साइनअप पर क्लिक करें, डिजी लॉकर को आधार से लिंक करें, लिंक वेरीफाइ होने के बाद डिजी लॉकर पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उन सभी को अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में स्कैन कर ले या फोटो ले ले,

विस्तृत–प्रभात खबर–12.09.2019

ट्रैफिक नियमों की कई गलतियों का जुर्माना भरने जाना होगा कोर्ट

नये मोटर व्हीकल एक्ट में न सिर्फ जुर्माने की रकम को कई गुना बढ़ा दिया गया है बल्कि कई गलतियों पर मौके पर फाइन भी नहीं भर सकते जुर्माने की रकम भरने के लिए आपको कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 200 में कई एसी गलतियों का जिक्र किया गया है, जिनका जुर्माना भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं एक्ट में मुताबिक 24 ऐसी गलतियाँ है, जिनके लिए आप मौके पर ही चालान अदा कर सकते हैं।

इनके लिए जाना होगा कोर्ट

गलती	जुर्माना	गलती	जुर्माना
ट्रेफिक लाइट जमा करना	5000 रुपये	नशे में ड्राइविंग	10,000 रुपये
रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना	10000 रुपये	नाबालिग से गाड़ी चलवाना	25 हजार फाइन /तीन साल जेल

इन गलतियों के लिए ऑन द स्पॉट फाइन

गलती	जुर्माना	गलती	जुर्माना
अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति	5,000 रुपये	बिना रजिस्ट्रेशन	पहली गलती 5,000 रुपये दूसरी गलती 10,000 रुपये
आदेश के पालन, जानकारी देने से इंकार करना	2,000 रुपये	बिना परमिट (कॉमर्शियल)	पहली गलती 10,000 रुपये दूसरी गलती पर फाइन व एक साल जेल
बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना	5,000 रुपये		
अयोग्यता के बाद भी ड्राइविंग	10,000 रुपये	हेलमेट न पहनना	1,000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग	पहली गलती 5,000 रुपये दूसरी गलती 10,000 रुपये	इमर्जेंसी वाहन को रास्ता न देना	10,000 रुपये
		साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना	पहली बार 1,000 रुपये दूसरी बार 2,000 रुपये
रेसिंग	पहली गलती 5,000 रुपये दूसरी गलती 10,000 रुपये	बीमा न होने पर	पहली बार 2,000 रुपये दोबरा गलती 4,000 रुपये
सीट बेल्ट न पहनना	1,000 रुपये		

साभार–प्रभात खबर–06.09.2019

बिहार में कम हो सकता ट्रैफिक जुर्माना

परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद ही सरकार करेगी इस पर कोई फैसला

बिहार के लोगों को भी नए यातायात नियमों के तहत वसूले जा रहे भारी जुर्माने में रियायत मिल सकती है। उत्तराखंड व गुजरात जैसे राज्य ने जुर्माने में कमी की घोषणा की है। अब बिहार सरकार भी ऐसी रियायत देने पर विचार करेगी।

बिहार के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद ही इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात के अलावा कुछ अन्य राज्य भी नए यातायात एक्ट को लेकर विचारविमर्श कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया पर उनकी निगाह है। सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग के अधिकारी भी इस बाबत अपने तई तैयारी कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चूंकि मोटर वाहन कानून समवर्ती सूची में आता है, लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों को नियमों में संशोधन के साथ ही नए नियम बनाने का अधिकार है। कहा गया कि मुख्य एक्ट की धारा 200 में राज्यों को कंपाउंडिंग वाले अपेक्षाकृत कम गंभीर उल्लंघनों में बदलाव का अधिकार है। हालांकि अब तक मंत्रालय का कहना था कि राज्यों को जुर्माने बढ़ाने का अधिकार तो है, घटाने का नहीं है। विस्तृतः दैनिक जागरण–12.09.2019

भारत से भी ज्यादा सख्त हैं इन देशों के ट्रैफिक रूल्स

भारत में नए मोटर व्हीकल. एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों की खूब चर्चा हो रही है. लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही कड़े प्रावधान कर दिए हैं. इसकी जरूरत नहीं थी. कुछ लोग सवाल पूछते हुए कहते हैं कि क्या चोरी की सजा फांसी हो सकती है? इनका मानना है कि मामूली नियम तोड़ने पर इतना जुर्माना लगाना ठीक नहीं है. सवाल है कि क्या इतना सख्त कानून सिर्फ हमारे देश में लागू है? दूसरे देशों में ट्रैफिक नियमों को लेकर क्या हाल है?

ताइवानः •यहां नशे में गाड़ी चलाने पर 2 साल की सजा और 6700 डॉलर यानी करीब 4 लाख 82 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।•नशे की हालत में गाड़ी से एक्सीडेंट होने पर 7 साल की सजा और किसी की मौत हो जाने पर. 10 साल की जेल का प्रावधान है।

यूकेः मोबाइल पर बात करते हुए, वीडियो देखते हुए या कोई . टेक्स्ट करते हुए ड्राइविंग करने पर 200 पाउंड यानी करीब 17 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है.

जापानः पानी से कार निकालने के दौरान छीटें अगर किसी और को पड़ती हैं, तो 65 डॉलर (4660 भारतीय रुपए) का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

स्पेनः स्लीपर पहनकर ड्राइविंग की तो 200 यूरो (15,700 रुपए) चालान कट सकता है. सरकार के मुताबिक चप्पल का ब्रेक पैडल्स में फंसने का खतरा रहता है, जिससे हादसा हो सकता है.

साइप्रसः साइप्रस में ड्राइविंग के दौरान हाथ में कुछ और मिला या फिर फोन पर बात करना या कुछ खाना या पानी पीना भी अपराध है. इसके लिए 85 यूरो (6,700 रुपए) का चालान कटता है.

हॉलैंडः तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर गाड़ी हमेशा के लिए जब्त कर ली जाती है।

स्विटजरलैंडः हाई स्पीड पर स्विटजरलैंड में 5 लाख पाउंड जुर्माने तक का प्रावधान है।

फिनलैंडः तेज रफ्तार गाडी –चलाने पर जुर्माने की रकम गाड़ी की रफ्तार और दोषी व्यक्ति की सालाना इनकम देखकर लगाई जाती हैं। एक अरबपति को तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 5 लाख पाउंड यानी करीब 4 करोड़ 37 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ा।

मिडिल ईस्टः मिडिल ईस्ट देशों में नशे में गाड़ी चलाना संगीन जुर्म माना जाता है। अबू धाबी में नशे में गाड़ी चलाने के लिए एक शख्स को 80 कोडे मारने की सजा दी गई। ईरान में भी इसी तरह का कानून है। वहां तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर एक साल की सजा का प्रावधान है।

ओमानः ओमान में ड्राइव करते वक्त फोन पर बातचीत, वीडियो देखते या टेक्स्ट करते पकड़े जाने पर 10 दिन की जेल व करीब 780 डॉलर यानी 56 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाता है।

बरमूडा, त्रिनिदाद और टोबैगोः इन देशों में रॉन्ग ड्राइविंग पर क्रमश 36 हजार, 16 हजार व 10 हजार व 7200 रुपए के साथ ही 3 महीने की सजा है।

दुबईः कार पर धूल–मिट्टी दिखाई देने या गंदी कार ड्राइव करने पर क्रमश 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।

आस्ट्रेलियाः आस्ट्रेलिया में ड्राइव करते वक्त गाडी से हाथ बाहर निकालने पर वेस्ट आस्ट्रेलिया में 50 आस्ट्रेलियाई डॉलर (2400 रुपए) और न्यू साउथ वेल्स में 337 आस्ट्रेलियाई डॉलर (16,290 रुपए) तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. साभार:आइनेक्स्ट-06-09-2019

बढ़ी जुर्माना राशि पर ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी

मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव को लेकर ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी है। फाइन बढ़ाए जाने के विरोध में ट्रांसपोर्टर जल्द बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि राज्य सरकार ने बिना उनसे विचार–विमर्श किए ही बढ़ा हुआ शुल्क लागू कर दिया, जबकि कई राज्यों ने अभी इस पर रोक लगा रखी है।

बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर भी रोड सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सिर्फ वाहन मालिक पर फाइनलगाकर रोड सेफ्टी नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है। रोड सेफ्टी को लेकर फाइन के साथ–साथ सरकार को जन जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन सख्ती के बहाने वाहन मालिकों पर अधिक आर्थिक बोझ डालना अच्छा नहीं है। वाहन प्रदूषण, बिना ओनरबुक के वाहन चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, स्पीडिंग–रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग, ओवरलोड वाहन आदि कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना वसूला जा रहा है जो अव्यावहरिक है। सरकार ट्रांसपोर्टरों के हित में नए नियमों में संशोधन करे। साभार: हिन्दुस्तान-04.09.2019

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by: ACG # 9308496365